बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0 :– 03–भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–13/2024 (Part)......14474

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में

सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी,
बिहार

पटना, दिनांक :– 02.12.2024

विषय :– अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति के समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त विलम्ब क्षांत कर सुनवाई करने के संबंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा 11(2) के आलोक में अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित होने के बाद तीन माह के भीतर दावा/आपत्ति दायर किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त बन्दोबस्त नियमावली के नियम 15 (3) के अनुसार **"बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–11(1) के अधीन अंतिम प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर, कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि अथवा उसके भाग में हित रखता हो, प्रपत्र–21 में संबंधित अधिसूचित पदाधिकारी के समक्ष दावा/आक्षेप दायर कर सकेगा"**, प्रावधानित किया गया है।

उक्त प्रावधान के आलोक में कतिपय जिलों से अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति की समयावधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त विलंब को क्षांत कर सुनवाई किये जाने के बिन्दु पर मांगे जाने वाले मार्गदर्शन पर उत्पन्न संशय के दृष्टिगत विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया।

विधि विभाग द्वारा The Limitation Act 1963 की धारा 5 के अनुरूप बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के आलोक में अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन उपरांत अपनायी जाने वाली सुनवाई की प्रक्रिया को, सुनवाई करने वाले पदाधिकारी को निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्ति को प्राप्त करने में विलंब को क्षांत करने की शक्ति प्रदत्त करने का परामर्श दिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के अनुसार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम अर्न्तगत प्रपत्र–20 में अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किये जाने के उपरान्त रैयतों द्वारा नियमावली में निर्धारित समय सीमा के उपरान्त विलंब से दायर किये गये दावा/आपत्तियों को The Limitation Act 1963 की धारा 5 के आलोक में उचित एवं वैध कारणों के आधार पर विलंब क्षांत करते हुए आपत्तियों को प्राप्त किया जाए।

विश्वासभाजन

2/12/2024

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

B:\Dharmveer\Y- 2024\Mayur Ji\Director\13-2024 _Part 30.11.2024.docx

ज्ञापांक : 03–भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–13/2024 (Part) 14474 **पटना, दिनांक** 02.12.2024

प्रतिलिपि : सभी प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त,/सभी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, (मु0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक : 03–भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–13/2024 (Part) 14474 **पटना, दिनांक** 02.12.2024

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, भू–अभिलेख एवं परिमाप/प्रशाखा पदाधिकारी/निदेशालय में पदस्थापित सभी संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक : 03–भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–13/2024 (Part) 14474 **पटना, दिनांक** 02.12.2024

प्रतिलिपि : तीनो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक : 03–भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–13/2024 (Part) 14474 **पटना, दिनांक** 02.12.2024

प्रतिलिपि : सभी समाहर्त्ता/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक : 03–भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–13/2024 (Part) 14474 **पटना, दिनांक** 02.12.2024

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक : 03–भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–13/2024 (Part) 14474 **पटना, दिनांक** 02.12.2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक : 03–भू0अ0नि0(6) विशेष सर्वे0–13/2024 (Part) 14474 **पटना, दिनांक** 02.12.2024

प्रतिलिपि : श्रीमति सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

B:\Dharmveer\Y- 2024\Mayur Ji\Director\13-2024 _Part 30.11.2024.docx